न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—52 / 2019 / 223 आर.टी.एक्ट (2019 / 00052)

1. श्रीमती महावीरी उर्फ सन्तोष पत्नि दुर्गालाल जाति दमामी, निवासी गुजरवाडा हाल हिंगोनिया, तहसील सरवाड, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती सुनीता उर्फ मेघा तथाकथित पत्नि दुर्गालाल जाति दमामी, निवासी गुजरवाडा हाल प्लाट नम्बर 234, जेडीए कॉलोनी गोविन्दपुरा, शिकारपुरा, सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सरवाड जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2018 राजस्व वाद संख्या 14 / 2017

उपस्थितः—

1. श्री विकास पाराशर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री वरदान सिंह अरोडा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः—12.05.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 14 / 2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / वादीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 92, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 14 / 2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2018 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया कि न्यायालय को पक्षकार द्वारा की गयी प्लीडिंग व अनुतोष के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए तथा वाद पत्र की प्लीडिंग से बाहर जाकर न्यायालय निर्णय पारित नहीं कर सकता। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया द्वारा स्वयं के पति की आराजीयात में 1/2 हिस्से बाबत् वाद पत्र प्रस्तुत किया था इसलिए न्यायालय को उक्त हद तक निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2018 के द्वारा स्वीकार भी कर लिया और आराजीयात के 7 अलग–अलग हिस्से कायम करने के विधि विरूद्ध आदेश दे दिये जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीया द्वारा ना तो किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत किया ना ही कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था इसलिए उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ को वादग्रस्त आराजी बाबत 7 अलग–अलग हिस्से करने का कोई अधिकार नहीं था एवं प्रतिवादीया स्व० दुर्गालाल की पत्नि भी नहीं है एवं उसके द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वादग्रस्त आराजीयात स्व० दुर्गालाल के जीवनकाल से ही वादीया के कब्जे काश्त व आधिपत्य में रही है किन्तु फिर भी वादीया द्वारा केवल मात्र आधे हिस्से का क्लेम किया गया। शेष आधा हिस्सा आज भी वादीया प्रतिवादीया को देने को तैयार है किन्तु इसके उपरान्त भी बिना किसी प्रकार की प्लीडिंग दिये ही उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को 7 हिस्सों में विभक्त करने के विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर दिये जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 14/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुर्गालाल के विधिक वारिसान के मध्य हक हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर वाद को डिक्री किया गया है। किसी भी वारिसान का हक हिस्सा कम या ज्यादा नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 92, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 13.12.2018 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर स्वयं को स्व0 दुर्गालाल पुत्र अम्बालाल जाति दमामी की प्रथम पत्नि तथा प्रतिवादी संख्या 1/सुनिता को द्वितीय पत्नि व उसकी संतानों को संयुक्त रूप से स्व0 दुर्गालाल की आराजीयात में 1/2 हिस्से का खातेदार/काश्तकार घोषित किए जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–2 कार्यालय ग्राम पंचायत, मनोहरपुरा द्वारा जारी सजरा अनुसार दुर्गालाल की मृत्यु दिनांक 31.01.2016 को हुई तथा उसकी प्रथम पत्नि महावीरी तथा द्वितीय पत्नि सुनीता है तथा सुनिता व दुर्गालाल के पांच संतानें

थी। इस तथ्य को स्वयं वादी/अपीलांट द्वारा अपने वाद पत्र एवं अपील में भी स्वीकार किया गया है। इस सजरे से स्पष्ट है कि स्व0 दुर्गालाल के इन वारिसान के अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत रूप से स्व0 दुर्गालाल के विधिक वारिसों के मध्य आराजीयात का समान रूप से बंटवारा किए जाने का आदेश पारित किया गया। चूंकि स्व0 दुर्गालाल की आराजीयात जरिए विरासत उनके विधिक वारिसों महावीरी प्रथम पत्नि सुनीता द्वितीय पत्नि तथा पुत्रियां प्रतिक्षा, दीक्षा, रूपा, अनिता व नन्दनी उक्त विवादित आराजीयात में समस्त वारिसान बराबर हक हिस्से के खातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिसम्मत रूप से निर्णय व डिक्री पारित किया गया है।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से यह उज्र उठाया गया है कि वादी/अपीलांट द्वारा 1/2 हिस्से बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग से बाहर जाकर वादग्रस्त आराजीयात के 7 अलग अलग हिस्से करने का आदेश पारित किया गया है।

वादी/अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व उनकी संताने स्व0 दुर्गालाल के पश्चात उनकी आराजीयात में बराबर हक हिस्से के उत्तराधिकारी हैं। अपीलांट द्वारा उठाया गया यह उज्र की वह 1/2 हिस्से की उत्तराधिकारी है। चूंकि उक्त आराजीयात जरिए विरासत अपीलांट व रेस्पोडेंट को प्राप्त हुई है। उक्त आराजीयात अपीलांट की स्वअर्जित आराजीयात नहीं है। विरासती आराजीयात में समस्त वारिसानों का बराबर हक हिस्सा निहित होता है। अपीलांट/वादी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने हक हिस्से की आराजीयात हेतु अनुतोष प्राप्त हो चुका है। अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष मान्य नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर व वादी को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए विधिक रूप से पारित किया है, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा प्रकरण संख्या 14/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2018 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर